सं. श्रो.वि./एफ.डी./61-85/34863.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि होरटीकल्चर डिपार्टमैंट हुडा सैक्टर-16, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री शंकर दयाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इससे इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है :

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/13254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़े हुए अधिसूचना सं. 1149 5-जी.-श्रम 52/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शंकर दयाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 28 अगस्त, 1985

सं. श्रो.वि./अम्बाला/101-85/34969.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि आफिसर इन चार्ज, सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27, चंडीगढ़, (2) सीनियर टैक्नीकल असिस्टैंट, सैन्ट्रल, सोयल एंड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म, मन्सा देवी, पो० श्रो० मनीमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री राम रतन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है —

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास में देने के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री राम रतन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो वि./अम्बाला/107-85/34976.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि आफिसर इन्चार्ज सैन्ट्रल सोयल एंड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट रिसर्च सैंटर, सैक्टर-27, चंडीगढ़, (2) सीनियर टैक्नीकल असिस्टैंट, सैंटर सोयल एंड वाटर कन्जरवेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो० श्रो० मनीमाजरा जिला अम्बाला के श्रमिक श्री छैदी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से ससंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री छैदी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 29 अगस्त, 1985

स० श्रो०वि०. रोहतक, 54-85, 35205.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इफको, एम० सी० श्रो० 43-44, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ़, (2) मै. इण्डियन फेरमरज फरटीलाईजर कोप० लि०, देहली के श्रमिक श्री सुरेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है :

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1978, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?